महत्वपूर्ण एवं खास

पिकनिक मनाने दोस्तो के साथ गए युवक की डूबने से मौत

रायपुर (आरएनएस)। जीतेंद्र दास, उम्र 25 साल निवासी क्रिश्चन कालोनी दुर्गा मंदिर के पास श्याम नगर थाना तेलीबांधा रायपुर खारुन नदी में डूबे युवक की तलाश में एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन सोमवार सुबह शुरू किया गया है। घंटों मशक्कत के बाद एसडीआरएफ सहित स्थानीय गोताखोरों की टीम ने शव को बरामद कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार कि काठाडीह इलाके के सातपाखड़ घाट में पिकनिक मनाने गए 19 वर्षीय युवक मोहम्मद असलम की डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक राजातालाब ताजनगर निवासी है। वह अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया था, जहां नहाते समय वह डूब गया था। शव को बरामद करने के लिए रविवार देर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। युवक का शव बरामद नहीं किया जा सका था। अंधेरा होने व बारिश के कारण रेस्क्यू को बंद करना पड़ा था। फिलहाल मुजगहन थाना पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी है।

पिता ने डांटा तो पुत्र ने पुलिस डायल 112 में की शिकायत

जगदलपुर (आरएनएस)। जिले के नगरनार थाना क्षेत्र के अंर्तगत ग्राम मारेंगा टोटापारा में देर रात बाहर घूमने पर पिता ने पुत्र को डांट लगाई तो पुत्र में डायल 112 में इसकी शिकायत कर दिया। मौके पर पहुंचकर 112 की टीम ने पिता को समझाईस दी गई कि वह अपने पुत्र के साथ मारपीट ना करे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मारेंगा टोटापारा निवासी 12 वर्षीय राकेश ने डायल 112 को कॉल कर बताया के उसके पिता शंभू मौर्य मुझे घरेलू बात को लेकर मारपीट व लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मौके पर 112 की टीम पहुंचकर प्रार्थी के पिता शंभू मौर्य से पूछने पर बताया कि मेरा बेटा रात में 11-12 बजे तक घर से बाहर रहता है। कहां गया था, क्या कर रहा था पूछने पर जवाब भी नहीं देता, इसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद बच्चे और उसके पिता को लड़ाई झगड़ा नहीं करने के लिए समझाइश दिया गया। वहीं बच्चे को देर रात घर से बाहर नहीं घूमने के लिए समझाया गया।

आकाशीय बिजली गिरी, दो बच्चों की मौत

बलरामपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रघुनाथनगर थाना क्षेत्र के ग्राम तोरफा में आकाशीय बिजली गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम तोरफा में रहने वाले 13 वर्षीय दो बच्चे आज अपने घर के बाहर एक आम पेड़ के नीचे आम बीन रहे थे। उस दौरान मौसम बदला हुआ था और तेज हवा के साथ बादल गरज रहे थे और हल्की बारिश होने लगी। बारिश होते देख दोनों बच्चे पेड़ के नीचे ही खड़े हो गए। इसी दौरान आकाशीय बिजली वहां गिरी, जिसकी चपेट में दोनों बच्चे आ गए, जिससे दोनों की मौत हो गई।

मजदूर का पैर कंवेयर बेल्ट में फंसा, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

रायपुर (आरएनएस)। कंपनी में काम करने के दौरान वेल्डर का पैर कंवेयर बेल्ट में फंस जाने की वजह से घायल हो गया। मामले की रिपोर्ट धरसींवा थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार 31 मई को ग्राम कुम्हारी खरोरा निवासी छगन लाल वर्मा 40 वर्ष पिता शिव कुमार वर्मा ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि धनकुल स्पंज एवं पावर कंपनी फेस 02 सिलतरा एक्यूफायर में वेल्डर का काम करता है। 29 मई को कंपनी में काम करने के दौरान दोपहर 01 बजे के करीब उसका पैर कंवेयर बेल्ट में फंस जाने की वजह से वह घायल हो गया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने धारा 287,337 के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश में 30 जून तक लाकडाउन रहेगा जारी

» विशेष रियायतों के साथ जिला कलेक्टर्स गाइड लाइन का सख्ती से कराएंगे पालन

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश में कोरोना वायरस कोविड 19 महामारी के प्रकोप में कमी आने के बाद 31 मई तक जारी दिनों का लाकडाउन आज समाप्त हो गया है। खतरा टला नहीं है सावधानी बरतने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को 30 जून तक लाकडाउन लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। राज्य सरकारों द्वारा कोरोना संक्रमण के मामलों की समीक्षा के उपरांत लाकडाउन में आगे किस प्रकार की रियायत दी जाएगी उसके निर्णय का अधिकार राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में विगत दिनों लाकडाउन को लेकर बड़ा मंथन करने के उपरांत अंततः 30 जून तक लाकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद भी केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज से लॉकडाउन खत्म हो गया है। आगे के लिए नई गाइडलाइन तथा नई तारीखें जिला कलेक्टर जारी करेंगे। माना जा रहा है कि वर्तमान में दी जा रहीं रियायतें जारी रहेंगी। केंद्र सरकार राज्यों को 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्देश देते हुए गाइडलाइन जारी की है। कुछ रियायतों के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।

हालाकि केंद्र सरकार ने राज्यों में आवागमन की छूट दी है,बावजूद इसके राज्य सरकार ने अपनी सीमाओं को नहीं खोलने का फैसला लिया है। गाइडलाइन के मुताबिक पहले की तरह 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। यानी अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ही ई-पास अनिवार्य होगा। यही व्यवस्था अंतर जिला आवागमन के लिए लागू होगी। प्रदेश में 7 जून तक धार्मिक स्थल,शॉपिंग मॉल,सिनेमा हॉल,स्वीमिंग पूल,स्पा,शैक्षणिक संस्थान,भीड़ भरे आयोजन पर रोक रहेगी।

❐ **रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन-** इसके अलावा नाइट कर्फ्यू और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था भी अगले आदेश तक जारी रहेगा। वहीं रोजमर्रा की सभी दुकानें सुबह छह से शाम छह बजे तक तथा देसी शराब दुकानें रात आठ बजे तक ही खोली जा सकेंगी। जीएडी सचिव का कहना है कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन सोमवार को जारी होगी तथा यह मंगलवार 1 जून से प्रभावशील होगी। पूर्व की तरह जिले के कलेक्टर अपने जिलों में संक्रमण की दर को ध्यान में रखकर ही दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

❐ **चरणबद्ध तरीके से दी जा सकती है रियायत-** इसके पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी अपने आदेश में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि स्थानीय हालात, जरूरत और स्रोतों का आकलन करने के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उचित समय पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों में किसी तरह की रियायत देने पर विचार कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि मई महीने के लिए 29 अप्रैल को जारी किए गए दिशा-निर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे।

❐ **आवाजाही पर रहेगा प्रतिबंध-** बयान के अनुसार जिन क्षेत्रों में मामलों की संख्या ज्यादा है, वहां जरूरी गतिविधियों को छोड़कर, रात के दौरान लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित होगी, इसमें कहा गया कि सामाजिक,राजनीतिक, खेल,मनोरंजन,शैक्षणिक,सांस्कृतिक, धार्मिक,त्योहार से संबंधित मौकों पर लोगों के जमा होने और सभाएं प्रतिबंधित हैं।

❐ **अनुरोध,उच्च न्यायालय ने मांगा जवाब-** शादी में 50 लोगों और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है,सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,सिनेमा हॉल,रेस्तरां,बार,खेल परिसर, जिम,स्पा,स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। बयान के अनुसार सार्वजनिक परिवहन अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं, जरूरी वस्तुओं के परिवहन सहित अंतर राज्यीय और राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगाा,सरकारी एवं निजी कार्यालय अधिकतम 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं।

मुठभेड़ में 2 लाख की इनामी महिला नक्सली मारी गई

» 2 नग देशी बंदूक, पिट्ठ, 02 किलो का आईईडी, काली वर्दी, जूते सहित अन्य सामग्री बरामद

दंतेवाड़ा। जिले में चलाये जा रहे नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी एवं जिला बल को रवाना किया गया था। जवान जैसे ही गीदम थाना क्षेत्र अंर्तगत गुमलनार के जंगल में पंहुचे नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दिया, जवाबी कार्यवाही में 02 लाख की इनामी एक महिला नक्सली प्लाटून नम्बर 16 की सदस्य पायके बेको मारी गई है। जिसका शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक 02 लाख की इनामी महिला नक्सली प्लाटून नम्बर 16 की सदस्य पायके बेको उम्र 24 वर्ष निवासी पुलिस थाना पल्लेवाया भैरमगड़ के रूप में पहचान की गई है। महिला नक्सली के शव के साथ 02 नग देशी बंदूक, पिट्ठू, 02 किलो का आईईडी, काली वर्दी, जूते और दवा सहित दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद हुई है। दंतेवाड़ा एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गुमलनार के जंगल में सुबह 06.30 बजे मुठभेड़ हुई है, जिसमें 01 महिला नक्सली का शव बरामद किया गया है, सर्चिंग जारी है, सभी जवान सुरक्षित हैं।

आबकारी सहायक आयुक्त ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

» आज होने वाले थे सेवानिवृत्त, जांच में जुटी पुलिस

बिलासपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त आज अपने निवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। फांसी लगाने से पहले सहायक आयुक्त ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। विभाग को मामले की जानकारी उस समय हुई जब टीपी भूसाखरे का ड्रायवर उन्हें लेने घर गया था। इसके बाद मामले की जानकारी सरकन्डा पुलिस को दी गयी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने टीपी भूसाखरे का शव फांसी से उतारा।

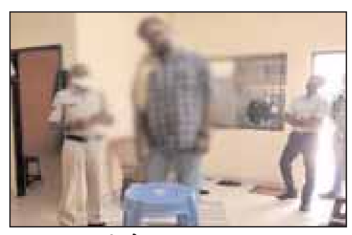

आबकारी सहायक आयुक्त टीपी भूखाखरे ने घर में फांसी लगाकर कर लिया है। मामले की जानकारी सुबह करीब 11 बजे हुई। टीपी भूसाखरे आज रिटायर्ड होने वाले थे। विभाग में उनके लिए विदाई कार्यक्रम का भी आयोजन था।

रोज की तरह सहायक आयुक्त का ड्रायवर भूसाखरे को लेने उनके घर गुलाबनगर मोपका गया। ड्रायवर ने दरवाजा खटखटाया..लेकिन अन्दर से दरवाजा नहीं खुला। करीब एक घण्टे के बाद मामले की जानकारी ड्रायवर ने विभाग प्रमुख को दी। इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गयी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। इसके बाद दरवाजा तोड़कर पुलिस अन्दर घुसी। लेकिन नजारा कभी डरावना सामने आया। टीपी भूसाखरे पंखे के सहारे फांसी पर लटके मिले। छानबीन के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। जानकारी के अनुसार सुसाइड नोट में भूसाखरे ने लिखा है कि आत्महत्या के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। वह अपने शारीरिक परेशानियों के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। फिलहाल सरकन्डा पुलिस मामले में जांचपड़ताल कर रही है। जानकारी देते चलें कि आज ही सहायक आयुक्त टीपी भूसाखरे रिटायर्ड होने वाले थे। इसलिए विभाग में उनके लिए विदाई सम्मान का आयोजन किया गया था। परिवार रायपुर में रहता है। पुलिस और विभाग की तरफ से परिवार को जानकारी भेज दी गयी है।

घुसपैठियों को वापस भेजने की मिशन में मोदी सरकार विफल - रविंद्र चौबे

» किसानों की समस्या हल करने में मोदी सरकार के वादे खोखले साबित हुए, किसान आंदोलन इसका सबसे बड़ा प्रमाण

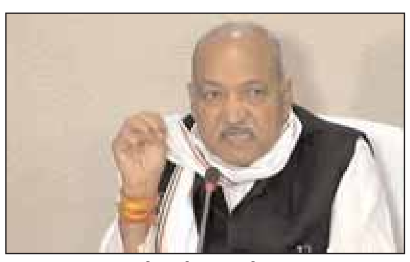

रायपुर (आरएनएस)। देश में एक ओर जहां भाजपा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के सात वर्ष पूर्ण होने पर उनकी उपलब्धियां गिनाते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उनके सात वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिये गये संकल्प पत्र के प्रमुख वादों की असलियत उजागर करते हुए अब तक लिये गये निर्णयों से देश और जनता को हुई परेशानियां गिना रहे है।

राजीव भवन में आज कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे, वन एवं परिवहन मंत्री मो. अकबर, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सांस्कृतिक एवं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता ली। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प पत्र के प्रमुख वादों की असलियत उजागर करते हुए कहा कि राष्ट्र सर्वप्रथम' के शीर्षक के तहत किए गए वादों में सबसे प्रमुख घुसपैठियों की समस्या का समाधान है। इस समस्या के समाधान के लिए मोदी सरकार ने सिजिज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) भी लागू किया, लेकिन सच यह है कि यूपीए सरकार ने 2005 से 2013 के बीच 82,728 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में दो हजार से भी कम बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। तो घुसपैठियों को वापस भेजने के वादे का क्या हुआ?

उन्होंने कहा कि घुसपैठ रोकना यदि मोदी सरकार की प्राथमिकता थी तो कैसे चीन भारत की सीमा में घुसपैठ करके बैठ गया और खुद प्रधानमंत्री संसद में गलत जानकारियां देते रहे। आज भी मोदी सरकार यह बताने में विफल है कि कैसे चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसकर निर्माण कार्य कर रहा है। सैटेलाइट के चित्र सब दिखा रहे हैं लेकिन मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं है। वे चीन को लाल लाल आंखें दिखाना चाहते थे लेकिन चीनी नेताओं के साथ झूला झूलते रह गए।

मंत्री चौबे ने कृषि और किसानों के हितों को लेकर कहा कि कृषि और किसान कल्याण' के वादों में मोदी और भाजपा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना चाहते थे लेकिन सच यह है कि उनकी नीतियों की वजह से देश का किसान और गरीब होता जा रहा है। नतीजा यह है कि लाखों किसान पिछले छह महीनों से दिल्ली की सीमा में ठंड, गर्मी और बरसात झेलते धरने पर बैठे हैं।

मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने शुरू किया वोटर का टूलकिट वाला पोस्टर चस्पा अभियान

रायपुर (आरएनएस)। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने मोदी सरकार की नाकामियों को 15 सवालों के साथ वोटर का असली टूलकिट बता कर एक दिन पूर्व ही एक पोस्टर जारी किया था जिसे आज राजधानी रायपुर से शहर भर में चस्पा कर शुरुआत कर दिया गया है।

विकास उपाध्याय ने कहा कि मोदी सरकार के 7 साल की नाकामियों को छत्तीसगढ़ में शहर से लेकर गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। इसे लेकर 10 लाख पोस्टर प्रिंट किये गए हैं। प्रदेश में एक एक वोटर तक यह संदेश पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा और मोदी सरकार के कथनी व करनी में क्या अंतर है देश की जनता के सामने बेनकाब होना जरूरी है। देश के लोगों के साथ मोदी की भावनात्मक जुमलेबाजी को भी बेनकाब होना जरूरी है,वरना बचे 3 साल के कार्यकाल में यह देश 30 साल और पीछे हो जाएगा।

श्री उपाध्याय ने कहा इस अभियान के दौरान भूपेश सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में किये गए कार्यों को भी जनता को बताएंगे कि भाजपा की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ किस तरह सौतेला व्यवहार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस पर वर्चुअल योगाभ्यास एवं योग परामर्श कार्यक्रम का शुभारंभ किया

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर आज यहां अपने निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल योगाभ्यास एवं योग परामर्श कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा कोविड-19 की चिकित्सा से स्वस्थ हुए व्यक्तियों, होम आइसोलेशन एवं क्वारेंटाइन में रह रहे व्यक्तियों, उनके परिवार के सदस्यों, वैक्सीन का प्रथम डोज ले चुके व्यक्तियों एवं वरिष्ठ नागरिकों सहित जन सामान्य में कोविड-19 के प्रभावों को कम करने एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।। योग की निःशुल्क कक्षाएं 31 मई से एक वर्ष तक चलेंगी । सोशल मीडिया में लोग योगाभ्यास कार्यक्रम को देख सकेंगे।

इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, समाज कल्याण मंत्री एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग श्रीमती अनिला भेंड़िया, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव समाज कल्याण विभाग श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले मुख्यमंत्री निवास में उपस्थित थीं। संचालक समाज कल्याण पी. दयानंद सहित छत्तीसगढ़ योग आयोग और समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न जिलों से नागरिक, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, योग प्रशिक्षक भी इस कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से जुड़े।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य तथ्य में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

छत्तीसगढ़ में कोविड-19 महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा बच्चों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा

» कक्षा पहली से 8वीं तक 500 रूपए और कक्षा 9वीं से 12वीं तक एक हजार रूपए प्रति माह की छात्रवृत्ति

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कोरोना महामारी से राज्य के मृत व्यक्तियों के बेसहारा बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा के साथ ही छात्रवृत्ति भी प्रदाय करने राज्य शासन द्वारा 'छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021' प्रारंभ की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

जारी अधिसूचना के अनुसार योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना के तहत ऐसे पात्र स्कूलों में प्रवेशित छात्रों को कक्षा पहली से 8वीं तक 500 रूपए प्रति माह और कक्षा 9वीं से 12वीं तक एक हजार रूपए प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विगत 18 मई को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में महतारी दुलार योजना लागू करने के संबंध में निर्णय लिया गया था।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा महतारी दुलार योजना के क्रियान्वयन के संबंध में पत्र जारी कर सभी जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग के समन्वय से ऐसे बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू की जा रही है। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी परिवारों से संबंधित बेसहारा बच्चों को मिलेगा। इस योजना की पात्रता शर्तों में ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हो गई हो। इसके अलावा बेसहारा बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए पात्रता रखते हों और जिनके घर में कमाने वाले व्यस्क सदस्य न रहने के कारण भरण-पोषण की समस्या हो गई हो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत पात्र पाए गए बच्चों को प्रदेश के शासकीय शालाओं में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे पात्र बच्चों को राज्य शासन द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी तथा उनके शिक्षा का सम्पूर्ण व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके साथ ही छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। ऐसे बच्चे जिनके कमाने वाले माता-पिता की मृत्यु हो गई उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। पात्र छात्रों को स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रतिभावान छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रशिक्षण, कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बेसहारा बच्चों के संबंध में किसी भी स्त्रोत से कलेक्टर को जानकारी प्राप्त होने पर, कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।